उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 3002/2018

मान सिंह और एक अन्य .....याचिकाकर्ता

बनाम

गम्भीर सिंह और अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

श्री तरुण लाखेरा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

दिनांकः 6 अक्टूबर, 2018

निर्णय

माननीय शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति।_

एक बहुत ही वि चित्र तर्क जिसे याचिसेकर्ताओं द्वारा आदेशों को चुनौती देते हुए प्रचार किया गया है, जिसके आधार पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर अभियोग आवेदन को प्रावधानों के आह्वान द्वारा अनुमति दी गई है, जिन्हें सीपीसी के आदेश 22 नियम 10 और सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के साथ पढ़ा जाना है, जिसमें, बिक्री विलेख के बल पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सेर्यवाहियों के पक्षसेर के रूप में स्वयं को शामिल करने की मांग की है, जो वाद संख्या. 94/2014 गंभीर सिंह बनाम मान सिंह और अन्य द्वारा शुरू की गई ।

वाद की कार्यवाहियों के दौरान, 21 नवंबर, 2016 को प्रत्यर्थी संख्या 2 पेपर संख्या 36 ए के मध्यम से अर्जी दी थी, जिसमें, उसने अपने पक्ष में उसने प्रार्थना की है कि निष्पादित दिनांक 19.10.2015 की बिक्री विलेख तिथि के आधार पर सम्पति के खरीदार होने के नाते, उसने स्थान पर कदम रखा है और इसलिए, आदेश 22 नियम 10 के निहितार्थ से, वह मुकदमे के पक्षकार के रूप में में शामिल होने के लिए एक आवश्यक पक्ष बन जाती है।इस प्रकार, दायर किए गए आवेदन को न्यायालय द्वारा 9 अक्टूबर, 2017 के आदेश द्वारा और एक प्रकीर्णअपील नं. 2017 की 19 में दी जा रही चुनौती पर अनुमति दी गई थी। उक्त आदेश की पुष्टि की गई है।।

एक पहलू जिस पर याचिकाकर्ता विवाद नहीं करता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता एक खरीदार है, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के बिक्री विलेख के आधार पर, यह भी विवादित नहीं है कि बिक्री विलेख के निष्पादन के परिणामस्वरूप, वह बिक्री विलेख के विषय वस्तु के संबंध में सभी अधिकारों के विभाजन के परिणामस्वरूप खरीदार के स्थान पर कदम रखेगी।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक बहुत ही तकनीकी तर्क यह है कि आवेदन, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2, सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के साथ पठित आदेश 22 नियम 10 का आह्वान करते हुए, याचिकाकर्ता ने आदेश 6 नियम 17 का आह्वान करके अभिवचन में एक साथ संशोधन के लिए प्रार्थना नहीं की है, और इसलिए, संशोधन करने के लिए मांगी गई प्रार्थना की अनुपस्थिति में में, सी. पी. सी. के आदेश 22 नियम 10 के आशय से अभियोग आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।।

जाहिर है, यह तर्क भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के से क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए पर्याप्त प्रतीत हो सकता है, लेकिन, यह न्यायाधीशालय तत्काल मामले में एक अंतर पैदा कर रहा है क्योंकि आवेदन स्वयं सीपीसी की खंड 151 के साथ पठित

आदेश 22 नियम 10 के आदेश 1 नियम 10 में दायर किया गया था, जो न्यायाधीशालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है।इसके अलावा, यह विवादित नहीं है कि आवेदन सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के से था। सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

> "10. गलत अभियोगी के नाम पर मुकदमा- (1) जहां मुकदमा गलत व्यक्ति के नाम पर वादी के रूप में संस्थापित किया गया है या जहां यह संदिग्ध है कि क्या यह सही वादी के नाम पर संस्थापित किया गया है, वहां न्यायालय मुकदमा के किसी भी अवस्था पर, यदि संतुष्ट हो जाती है कि मुकदमा एक प्रामाणिक गलती के माध्यम द्वारा संस्थापित किया गया है, और यह कि विमुकदमा में वास्तविक मामले के निर्धारण के लिए ऐसा करना, आदेश देना और अन्य व्यक्ति को ऐद्वारा निबंधनों पर वादी के रूप में प्रतिस्थापित या जोड़ा जाना आवश्यक है जो न्यायालय उचित समझता है।

किसी पक्षकार को जोड़ने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है और जब कोई पक्षकार सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 द्वारा जोड़ा जाता है और आदेश 1 नियम 10 से आवेदन की अनुज्ञा देने के परिणामस्वरूप किसी पक्षकार को जोड़ने की शक्ति स्वयं न्यायालय को ही दिया जा रहा है, तो इस न्यायालय का विचार है कि आदेश 6 नियम 17 से कोई स्वतंत्र आवेदन अपेक्षित नहीं है जो अभिवचन जोड़ने के संबंध में आकर्षित किया जा सके।अभिवचन से ऐसा अभिवचन अभिप्रेत होगा जिसका निर्णय किए जाने की वांछा की गई मुकदमा की विषय-वस्तु पर प्रभाव होगा, आदेश 22 नियम 10 और आदेश 1 नियम 10 का आह्वान करके बाद के घटनाक्रमों के कारण पक्षकारों की सरणी या इसके विन्यास में परिवर्तन अभिवचनों में संशोधन नहीं होगा।यह लागत शीर्षक में एक परिवर्तन है जिसे न्यायालय के विशेषाधिकार और सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत निहित इसकी शक्ति द्वारा लाया जाना है और इसे सीपीसी की धारा 151 के अनुरूप पढ़ा जाना है।

परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली है।रिट याचिका खारिज की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, न्या)
06.10.2018

शिव